



कायालय

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक छिंदवाड़ा वनवृत्त,
छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश — 480001

Email-cfchhindwara@mpforest.org

Tel./Fax No.07162-245470

क्रमांक/मा.चि./17/ 1063
प्रति,

छिंदवाड़ा, दिनांक

23 MAR 2017

वनमण्डलाधिकारी,
पश्चिम छिंदवाड़ा वनमण्डल
छिंदवाड़ा (म.प्र.)

विषय :- Regarding submission of Part - II of Form-A and acknowledgement slip in respect of Jamunia UG mine, WCL pench Area for diversion of 54.639 Ha. revenue forest land.

संदर्भ :- आपका कार्यालयीन पत्र क्रमांक/530 दिनांक 22.03.17

—000—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियां/त्रुटियां होने के कारण मूलतः वापस किया जाता है :-

- (1) प्रस्ताव में आपके द्वारा केवल पार्ट - I एवं पार्ट- II की हार्ड कापी लगाई गई है, उनमें अपलोड किये गये अभिलेखों एवं नक्शों की हार्ड एवं साफ्ट कापी संलग्न करें।
- (2) सूचना प्रौद्योगिकी शाखा से वन क्षेत्र के नक्शे प्राप्त कर प्रस्तावित एरिया की KML फाईल, Geo reference map , survey of india का मैप उपचार मानचित्र संलग्न करें।
- (3) आवेदक संस्थान से आवश्यक वचन पत्र प्राप्त कर संलग्न करें।
- (4) व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित एरिया का KML फाईल, Geo reference map , survey of india का नक्शा मार्क कर संलग्न करें।
- (5) वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित एरिया का KML फाईल, Geo reference map, survey of india का नक्शा एवं उपचार मानचित्र मार्क कर संलग्न करें।
- (6) आवेदित स्थल में जाने हेतु किस मार्ग का उपयोग किया जावेगा स्पष्ट करें। एव इनक्लाइन का भी स्पष्ट उल्लेख करें कि प्रस्तावित भूमिगत खदान में जाने हेतु कहीं से बनेगा, नक्शे पर भी मार्क करें।

- (7) प्रस्ताव नवीन खदान का है या नवीनीकरण का है, स्पष्ट उल्लेख करें ।
 - (8) प्रस्ताव बाबद संक्षिप्त टीप संलग्न करें ।
 - (9) राजस्व वनभूमि का पटवारी मानचित्र (16" = 1 मील) आवेदित क्षेत्र अंकित कर एवं खसरा पांच साला फार्म P-II संलग्न करें ।
 - (10) आवेदित क्षेत्र के ऐतिहासिक/पुरातत्व धरोहर न होने का संबंधित पंचायत का प्रमाण पत्र संलग्न करें ।
 - (11) वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत ग्रामसभा/ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न करें ।
 - (12) आवेदित क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अधिकारों के विनिश्चयन की कार्यवाही पूर्ण होने के संबंध में कलेक्टर का प्रमाण पत्र संलग्न करें ।
 - (13) आवेदित क्षेत्र से राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य की दूरी दर्शाने वाला मानचित्र सर्वे आफ इंडिया की शीट (1:2,50,000 स्केल) पर अंकित कर संलग्न करें ।
 - (14) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत क्लीयरेंस प्रमाण पत्र संलग्न करें ।
 - (16) कास्ट बेनीफिट एनालिसिस संलग्न करें ।
 - (16) सी. बी. ए. एक्ट की धारा 7,9,11 के तहत अधिसूचनाओं की प्रति संलग्न करें ।
- संलग्न:-उपरोक्तानुसार

पृ.क्रमांक/मा.चि./17/ 1064

प्रतिलिपि:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध),म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित ।

(डॉ. यू. के. सुबुद्धि) 23/3/17

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक
23/3/17 छिंदवाड़ा वनवृत्त

छिंदवाड़ा, दिनांक 23 MAR 2017

(डॉ. यू. के. सुबुद्धि) 23/3

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक
23/3/17 छिंदवाड़ा वनवृत्त

23/3/17